210

सं0:-1265/IV(2)-श0वि0-2013-07(NURM)08टी0सी0

प्रेषक,

एम0एच0 खान,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
शहरी विकास निदेशालय,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

शहरी विकास अनुभाग-2 देहरादूनः दिनांक-13 सितम्बर, 2013

विषयः- जवाहर लाल नेहरू शहरी नवीकरण मिशन के उप मिशन बी0एस0यू0पी0 के अन्तर्गत दुर्गापुर, नैनीताल हेतु आवास तथा अन्य अवस्थापना सुविधाओं के निर्माण हेतु धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्याः भा0स0-23/IV(2)- श0वि0-08-07(एनयूआरएम) 08, दिनांक 29.03.2008 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा नैनीताल शहर के दुर्गापुर में आवास तथा अन्य अवस्थापना सुविधाओं के निर्माण हेतु कुल लागत रू. 930.04 लाख के सापेक्ष आवास विभाग द्वारा रईस होटल कम्पाउण्ड में अवस्थित परिवारों को दुर्गापुर में आवास बनाने हेतु पूर्व में स्वीकृत रू. 140.13 लाख की धनराशि को समायोजित करते हुए अवशेष रू. 92.38 लाख की धनराशि की स्वीकृति प्रदान की गयी थी।

2- उपरोक्त के क्रम में व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या 59(6)/PFI/2012-1789, दिनांक 30.03.2013 द्वारा उक्त योजना हेतु केन्द्रांश की द्वितीय किस्त रू. 185.65 लाख अवमुक्त की गयी है। अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि केन्द्रांश के रूप में प्राप्त रू. 185.65 लाख तथा इसके सापेक्ष राज्यांश रू. 46.86 लाख में लाभार्थी अंश रू. 25.26 लाख को घटाते हुए शेष राज्यांश रू. 21.60 लाख की धनराशि सहित कुल **रू. 207.25 लाख (रूपये दो करोड़ सात लाख पच्चीस हजार मात्र)** की धनराशि को व्यय हेतु आपके निवर्तन पर निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(i) उक्त धनराशि आपके द्वारा आहरित कर सम्बधित कार्यदायी संस्था को बैंक ड्राफ्ट अथवा चैक के माध्यम से उपलब्ध करायी जायेगी।

(ii) इस सम्बन्ध में पूर्व में निर्गत शासनादेश दिनांक 29.03.2008 में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(iii) स्वीकृत की जा रही धनराशि के अनुरूप ही आवासों का निर्माण किया जायेगा तथा दरों में वृद्धि होने के फलस्वरूप बढ़ी हुई दरों के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा कोई धनराशि स्वीकृत नहीं की जायेगी।

(iv) उक्त धनराशि शहरी विकास विभाग के अनुदान संख्या-13 सामान्य बजट, अनुदान संख्या-30 अनुसूचित जाति उपयोजना बजट एवं अनुदान संख्या-31 अनुसूचित जनजाति उपयोजना बजट से स्वीकृत की जा रही है। अतएव वित्तीय एवं भौतिक प्रगति विवरण में सामान्य वर्ग तथा अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के लाभार्थियों

का विवरण पृथक–पृथक अंकित करते हुए नोडल एजेन्सी के माध्यम से शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(v) उक्त धनराशि का उपयोग उन्हीं योजनाओं एवं मदों के लिए किया जायेगा जिन योजनाओं एवं मदों के लिए धनराशि स्वीकृत की गयी है। किसी भी दशा में धनराशि का व्ययावर्तन किसी अन्य योजना/मद में नही किया जायेगा।

(vi) स्वीकृत धनराशि के व्यय अथवा निर्माण करने से पूर्व सभी योजनाओ/कार्यों पर संबंधित मानचित्र एवं विस्तृत आगणन गठित कर तकनीकी दृष्टिकोण से समस्त औपचारिकतायें पूर्ण करते हुए एवं विशिष्टियों का अनुपालन करते हुए प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।

(vii) **सम्बन्धित कार्यदायी संस्था द्वारा निर्माण कार्य निर्धारित अवधि के अन्तर्गत पूर्ण किया जाना आवश्यक होगा और त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट शासन को उपलब्ध करानी होगी, जिसमें कि भौतिक एवं वित्तीय प्रगति का स्पष्ट उल्लेख होगा।** कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता हेतु सम्बन्धित निर्माण ऐजेन्सी और उसके अभियंता पूर्ण रूपेण उत्तरदायी होंगे।

(viii) स्वीकृत कार्य कराते समय वित्तीय हस्तपुस्तिका, बजट मैनुअल, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 एवं मितव्ययिता के सम्बन्ध में शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत किये गये शासनादेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाये, एकमुश्त प्राविधान के विस्तृत आगणन गठित कर लिये जाये, और इन पर यदि किसी तकनीकी अधिकारी के कार्य कराने से पूर्व का अनुमोदन प्राप्त करना नियमानुसार आवश्यक हो तो कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व उक्त अनुमोदन अवश्य प्राप्त कर लिया जाये।

(ix) कार्य को भारत सरकार के द्वारा दी गई प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति की सीमा के अन्तर्गत ही पूर्ण किया जायेगा। इस लागत में कोई वृद्धि वित्त पोषण के पैटर्न से इतर राज्य सरकार के द्वारा अनुमन्य नहीं होगी।

(x) कार्य का परीक्षण/निरीक्षण तृतीय पक्ष द्वारा किया जायेगा। जिसके लिए नोडल एजेन्सी द्वारा नामित एजेन्सी को सभी सम्बन्धित अभिलेख और सहायता नोडल एजेन्सी/स्थानीय निकाय/कार्यदायी संस्था द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी।

(xi) लाभार्थी अंश, लाभार्थियों से वसूल किया जायेगा।

3– उक्त के संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2013–14 के आय–व्ययक के **अनुदान सं0–13**, लेखाशीर्षक–4217–शहरी विकास–03–छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास–आयोजनागत–800–अन्य व्यय–01–केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र पुरोनिधानित–06–बेसिक सर्विसेज टू अरबन पुअर्स (80प्रतिशत के0स0)–24 वृहत निर्माण कार्य के **नामे रू. 163.72 लाख, अनुदान संख्या–30**, लेखाशीर्षक–4217–शहरी विकास–03–छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास–आयोजनागत–800–अन्य व्यय–01–केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र पुरोनिधानित–01–बेसिक सर्विसेज टू अरबन पुअर्स (80प्रतिशत के0स0)–24 वृहत निर्माण कार्य के नामे रू. **37.31 लाख** तथा **अनुदान संख्या–31**, लेखाशीर्षक–4217–शहरी विकास–03–छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास–आयोजनागत–800–अन्य व्यय–01–केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र पुरोनिधानित–01– बेसिक सर्विसेज टू अरबन पुअर्स (80प्रतिशत के0स0)–24 वृहत निर्माण कार्य के नामे रू. **6.22 लाख** डाला जायेगा।

4– यह आदेश वित्त विभाग के अशा0सं0–184/XXVII(2)/2013, दिनांक 06 सितम्बर, 2013 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

5— यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 183/XXVII(2)/2012, दिनांक 28–03–2012 में सुनिश्चित व्यवस्थानुसार क्रमशः अलॉटमेन्ट आई डी–s.1309130046, s.1309130047 एवं s.1309100409 के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(एम0एच0 खान)
प्रमुख सचिव।

सं0 ~~मा0स0~~ 1265 (1)/IV(2)-श0वि0–2013, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. महालेखाकार (आडिट), उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड।
4. निजी सचिव, मा0 नगर विकास मंत्री जी, उत्तराखण्ड।
5. आयुक्त, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
6. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
7. जिलाधिकारी, नैनीताल/अधि0 अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, नैनीताल।
8. वित्त अनुभाग–2/निदेशक, राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड शासन।
9. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून, को इस अनुरोध के साथ कि नगर विकास के जी0ओ0 में इसे शामिल करें।
10. अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका परिषद, नैनीताल।
11. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, सचिवालय परिसर, देहरादून।
12. गार्ड बुक ।

आज्ञा से,

(ओमकार सिंह)
अनु सचिव।